GST परषिद की 53वीं बैठक

प्रलिमि्स के लयि:

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परषिद, GST अपीलीय न्यायाधकिरण, धन शोधन नविारण अधनियिम, प्रवर्तन नदिेशालय, आधार।

मेन्स के लयि:

51वीं GST परषिद बैठक के परणिाम, GST परषिद से संबंधति मुद्दे, GST परषिद के कार्य।

स्रोत: द हदिू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परषिद की 53वीं बैठक में छोटे व्यवसायों के लयि अनुपालन को आसान बनाने हेतु कई उपायों को मंज़ूरी दी गई है, जसिमें छात्रावास आवास, रेलवे सेवाओं आदि को छूट दी गई है।

- बैठक में सात वर्षीय GST के अंतर्गत वभिन्नि कर दरों के पुनर्गठन पर चर्चा करने के लयि अगस्त 2024 में पुनः बैठक करने पर भी सहमति व्यक्त की गई।

53वीं GST परषिद बैठक की प्रमुख वशिेषताएँ क्या हैं?

- **आधार-आधारति बायोमेट्रकि प्रामाणीकरण:** परषिद ने फर्ज़ी चालान के माध्यम से कयि गए धोखाधड़ी वाले **इनपुट टैक्स क्रेडटि दावों से नपिटने के लयि राष्ट्रीय स्तर पर बायोमेट्रकि-आधारति** आधार प्रामाणीकरण शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य कर अनुपालन को बढ़ाना है।
- **छात्रावास आवास के लयि छूट:** शैक्षणकि संस्थानों के बाहर **छात्रावास आवास सेवाओं को प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपए तक के करिये पर GST से छूट दी** गई है, जसिसे यह छात्रों और श्रमकि वर्ग के लयि अधकि कफियायती हो गया है।
  - **यह छूट केवल 90 दनिों तक के प्रवास के लयि लागू होती है, जबकि पहले ऐसे करिये पर 12% GST लगता था।**
- **भारतीय रेलवे सेवाएँ: प्लेटफॉर्म टकिट** पर GST छूट, यात्रयिों पर वत्तिीय बोझ कम करने का लक्ष्य। यह नर्णिय रेलवे सेवाओं को और अधकि कफियायती बनाने के व्यापक प्रयासों का हस्सिा है।
- **कार्टन पर GST दर में कमी:** वभिन्नि प्रकार के कार्टन बॉक्स पर GST दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई। इस बदलाव का उद्देश्य **इन आवश्यक पैकेजगि सामग्रयिों की कुल लागत को कम करके नर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ** पहुँचाना है।
- **दूध के डबि्बों तथा सौर कुकरों पर GST कटौती:** सभी दूध के डबि्बों के लयि **12%** की एक समान **GST** दर की घोषणा की गई, चाहे वे स्टील, लोहे अथवा एल्यूमीनयिम से बने हों।
- **गैर-धोखाधड़ी वाले मामलों के लयि ब्याज एवं जुर्माने में छूट:**
  - परषिद ने **GST अधनियिम की धारा 73** के तहत जारी **डमिांड नोटसिों पर ब्याज एवं जुर्माने को माफ करने की सफिारशि** की है, जो उन मामलों पर लागू होता है जनिमें धोखाधड़ी, गोपनीयता अथवा गलत बयान शामलि नहीं होते हैं।
- **अपील दायर करने के लयि नई मौद्रकि सीमाएँ: GST परषिद ने वभिन्नि न्यायालयों में वभिाग द्वारा अपील दायर करने के लयि नई मौद्रकि सीमा की सफिारशि की है जो GST** अपीलीय न्यायाधकिरण **के लयि 20 लाख रुपए, उच्च न्यायालय के लयि 1 करोड़ रुपए तथा** सर्वोच्च न्यायालय **के लयि 2 करोड़ रुपए है।**
- इसका उद्देश्य सरकारी मुकदमेबाज़ी को कम करना है।
- राज्यों को केंद्रीय सहायता एवं सशर्त ऋण: सरकार ने 'पूंजी नविेश के लयि राज्यों को वशिेष सहायता योजना' प्रारंभ की है, जसिके अंर्तगत कुछ ऋण राज्यों द्वारा नागरकि-केंद्रति सुधारों एवं पूंजीगत परयिोजनाओं को लागू करने की शर्त पर दयि जाएंगे और साथ ही राज्यों से इन ऋणों तक पहुँचने के लयि मानदंडों को पूरा करने का आग्रह कयिा गया है।
- **पेट्रोल एवं डीज़ल GST के अंतर्गत:** केंद्र सरकार ने **पेट्रोल तथा डीज़ल को GST के अंतर्गत लाने की मंशा** व्यक्त की है, बशर्ते कि लागू कर दर पर **राज्यों के बीच आम सहमति** बन जाए।
  - इसे देशभर में ईंधन पर **एक समान कराधान की दशिा में एक कदम के रूप** में देखा जा रहा है।

नोट

- [**वस्तु एवं सेवा कर (GST)**] **एक मूल्य वर्धित (Ad valorem) कर** प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
- **यह एक अप्रत्यक्ष कर** है जिसे **1 जुलाई 2017** को **101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016** के माध्यम से '**एक राष्ट्र एक कर**' के नारे के साथ भारत में प्रस्तुत किया गया था।

GST परिषद क्या है?

- **परिचय:**
    - GST परिषद भारत में **वस्तु एवं सेवा कर (GST)** के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिये ज़िम्मेदार **एक संवैधानिक निकाय** है।
    - जहाँ केंद्र तथा राज्य दोनों कई कर लगाते थे, इसकी स्थापना भारत में मौजूदा **कर ढाँचे को सरल बनाने के लिये** की गई थी, परिणामस्वरूप संपूर्ण देश में कर संरचना अधिक एकरूप हो गई।
- **सांविधानिक प्रावधान:**
    - **101वें संशोधन अधिनियम, 2016** ने **GST** की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया।
    - इस संशोधन अधिनियम की सहायता से संविधान में एक नया **अनुच्छेद 279-A** शामिल किया गया जो राष्ट्रपति को **GST** परिषद के गठन का अधिकार देता है।
        - तद्नुसार, **राष्ट्रपति ने वर्ष 2016 में आदेश जारी किया** और वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया।
- **सदस्य:**
    - परिषद के सदस्यों में केंद्र से **केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त)** शामिल हैं।
    - प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है।
- **प्रकार्य:**
    - **अनुच्छेद 279A (4)** परिषद को **GST से संबंधित** महत्त्वपूर्ण **मुद्दों** जैसे कि GST के अधीन अथवा GST से छूट-प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं, मॉडल GST कानून तथा GST दरों पर **संघ तथा राज्यों** को सिफारिशें करने का अधिकार प्रदान करता है।
    - यह निर्धारित करता है कि किस **GST दर स्लैब** का उपयोग किया जाए और क्या उत्पाद की विशेष श्रेणियों को इन स्लैब में संशोधन की आवश्यकता है।
    - यह परिषद प्राकृतिक आपदाओं/विपदाओं के दौरान **अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये विशेष दरों** और कुछ राज्यों के लिये विशेष प्रावधानों पर भी विचार करती है।
- **कार्य:**
    - GST परिषद अपनी **बैठकों में उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम तीन-चौथाई मतों के बहुमत के आधार** पर निर्णयन करती है।
    - बैठक आयोजित करने के लिये कुल सदस्यों के **50% की गणपूर्ति (Quorum)** होना आवश्यक है।
        - **केंद्र सरकार** के मत का भारांक/महत्त्व बैठक में डाले गए कुल मतों के **एक-तिहाई** के बराबर होता है।
        - सभी **राज्य सरकारों** के मतों का भारांक किये गए कुल मतों के **दो-तिहाई** के बराबर होता है।
    - **GST परिषद की सिफारिशों** को शुरुआत में आबद्धकर माना जाता था किंतु वर्ष 2022 में [illegible] मामले में **सर्वोच्च न्यायालय** ने निर्णय किया कि इसकी सिफारिशें आबद्धकर नहीं हैं क्योंकि संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के पास "एक साथ" GST पर विधि निर्माण की शक्ति है।

Impact of GST

Economy

- Dual monitoring by the Centre and states to reduce tax evasion
- Better compliance through real time matching of supplier and purchaser
- Reduction in the approx Rs 1.8 lakh crore annual loss due to excise duty exemptions
- Cut in Rs 1.5 lakh crore estimated loss to states due to tax exemptions

Companies

- Tax credits to **lower their tax burden, improve profit margin**
- **No distinction** between product and service for tax purposes
- Uniform tax across the country to **ease doing business**
- **Smooth movement** of products across states
- One-time increase in compliance cost likely

Consumer

- Most products are likely to be less expensive over time
- Most services (eg. restaurants, travels, mobile bills, insurance premium) likely to cost more
- Mobiles, Jewellery, some ready made wear in some states may cost more

What is not part of GST

Alcohol
Industry keen, states block move to include alcohol for human consumption. They want total freedom to tax the sin good

Petroleum
States don't want to give up power to tax, given this is an easy revenue source. Petrol, diesel, aviation fuel, natural gas and crude stay out for two years

Real Estate
Stamp duty to remain on sale of property but service tax, where applicable, to be part of GST

//

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: GST ढाँचे के उद्देश्यों और प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिये। GST प्रणाली के लाभों और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये तथा इसके सफल कार्यान्वयन के लिये चुनौतियों का समाधान करने के उपाय सुझाइए।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????

प्रश्न1. निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिये: (2018)

1. छिलका उतरे हुए अनाज
2. मुर्गी के अंडे पकाए हुए
3. संसाधित और डिब्बाबंद मछली
4. विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार-पत्र

उपर्युक्त मदों में से कौन-सी वस्तु/वस्तुएँ जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के अंतर्गत छूट प्राप्त है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

प्रश्न 2. 'वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स/GST)' के क्रियान्वित किये जाने का/के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है/हैं? (2017)

1. यह भारत में बहु-प्राधिकरणों द्वारा वसूल किये जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाज़ार स्थापित करेगा।
2. यह भारत के 'चालू खाता घाटे' को प्रबलता से कम कर विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु इसे सक्षम बनाएगा।
3. यह भारत की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और आकार को वृहद् रूप से बढ़ाएगा तथा उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकलने में सक्षम बनाएगा।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिये। कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि को प्रभावित किया है और नए संघीय तनावों को उत्पन्न किया है? (2020)

प्रश्न. उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइये जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सम्मिलित किये गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रियान्वित जीएसटी के राजस्व निहितार्थों पर भी टिप्पणी कीजिये। (2019)

प्रश्न. संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिये। क्या आपको लगता है कि यह "करों के प्रपाती प्रभाव को दूर करने और वस्तुओं तथा सेवाओं के लिये सामान्य राष्ट्रीय बाज़ार प्रदान करने" हेतु पर्याप्त रूप से प्रभावी है? (2017)

प्रश्न. भारत में माल व सेवा कर (GST) प्रारंभ करने के मूलाधार की विवेचना कीजिये। इस व्यवस्था को लागू करने में विलंब के कारणों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिये। (2013)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/53rd-gst-council-meeting